



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 7, 2011/माघ 18, 1932

No. 243]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 7, 2011/MAGHA 18, 1932

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2011

का.आ. 283(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श के पश्चात् यह राय होने पर कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों की क्वालिटी, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के हैं, का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है यह घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्मों सारणी के स्तम्भ (4) में उल्लिखित राज्यों के लिए कृषि प्रयोजन हेतु विक्रय किए जाने के लिए अधिसूचित किस्मों होंगी और बीज उतपादन और क्वालिटी नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए सम्पूर्ण भारत के लिए अधिसूचित किस्मों होंगी।

सारणी

क्र सं.	प्रकार	किस्म	राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	गेहूँ	एकेएडब्ल्यू-4627	महाराष्ट्र और कर्नाटक
2.	चावल	चिनसुरह चावल (आईईटी 19140) (सीएनआई 383-5-11)	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल
3.	चावल	आईजीकेवीआर-1 (आईईटी 19569)	छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा
4.	चावल	आईजीकेवीआर-2 (आईईटी 19795)	छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा
5.	चावल	सीआर धान 401 (रीता) (आईईटी 19969)	उड़ीसा, प. बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश

